न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 14/2014/223 आर टी ए

मेजरसिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मानाराम पुत्र जीयाराम जाति मेघवाल निवासी 22 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 170/2012 अनवानी मेजरसिंह बनाम मानाराम

उपस्थित :–

श्री रामकुमार सहारण अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–06.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए का पेश किया जिसमे प्रतिवादी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि व तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे उठायी गई आपत्तियां आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि मे नही आती है। प्रतिवादी के इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित

आपत्तियां जवाबदावा मे उठा सकता है और जवाबदावा के बाद न्यायालय द्वारा विवाधक विरचित कर उनका निर्णय किया जा सकता है। बिना साक्ष्य के प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र मे उठायी गई आपत्तियां का निर्णय कानूनन नही किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होना मानकर भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अभिलेख पर आये दस्तावेज से यह बखूबी साबित होता है कि पूर्व के राजस्व वाद सं. 133/03 मेजरसिंह बनाम नरेन्द्र सिंह आदि मे प्रतिवादी मानाराम ना तो पक्षकार था और ना ही इस राजस्व वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति मे ना तो रेसल्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है और ना ही वादी पर नया दावा लाने की कोई विधिक रोक है। वादपत्र के अभिकथनो से स्पष्ट है कि वादी का दावा कानूनन पोषनीय है। वादी का दावा विधि वर्जित है या नही, इस बिन्दू पर निर्णय करने के लिए महज वादपत्र के अभिकथनो पर ही कानूनन विचार किया जा सकता है। वादी के वादपत्र के अभिकथनो से कही यह प्रकट नही होता है कि उसका दावा विधि वर्जित है या रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2013 मे यह स्पष्ट कथन किया है कि पूर्व वाद प्रार्थी को धमकाकर व भय दिखाकर खारिज करवाया गया था, पूर्व वाद कभी भी गुणावगुण के आधार पर निर्णित नही हुआ है। वादी की यह आपत्ति साक्ष्य तलब होने के कारण बिना साक्ष्य के विचारण न्यायालय को इसका निर्णय नही करना चाहिए था। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट के पिता भागसिंह के नाम से चक 2 केएनजे मे 9 बीघा भूमि थी जिसमे अपीलांट का 1/6 हिस्सा अपने भाईयों व माता धनकौर के साथ बहिस्सा बराबर था। जो विवादित कुल 9 बीघा भूमि माता धनकौर व मेघसिंह ने दिनांक 21.10.1970 को हुक्माराम पुत्र चूनाराम को बैय कर दी थी। अपीलांट द्वारा

विवादित भूमि बाबत दावा पमर्व मे अनवानी मेजरसिंह बनाम नरेन्द्र सिंह प्रस्तुत किया गया था जो अपीलांट/वादी के प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। अपीलांट द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत दावा व अपीलाधीन वाद व वादग्रस्त भूमि समान है तथा रेस्पो0 द्वारा उक्त वादग्रस्त 9 बीघा भूमि जरिये बैयनामा बलवीर राम पुत्र रूडाराम से खरीद की हुई है। जो खरीद के रोज से रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद तथा पूर्व वाद मे समान पक्षकार एवं समान आराजी भूमि होने से दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण दावा रेस्जूडिकेटा के नियम से बाधित है, इसी आधार पर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे RBJ (24) 2017Page 145, RRD 2004 Page 88, RRD 1996 Page 10, RRD 2006 Page 512 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया कि प्रकरण मे रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। चूंकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे दावा अनवानी मेजरसिंह बनाम नरेन्द्र सिंह आदि प्रस्तुत किया गया जो अपीलांट/वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया गया था तथा अपीलाधीन वाद भी उसी वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत किया गया। पूर्व वाद मे बलवीरराम पक्षकार था जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 को बैय की गई है और

बैयनामा के आधार पर नामान्तरण रेस्पो0 के नाम दर्ज हो चुका है। हस्तगत प्रकरण मे मानाराम पक्षकार है परन्तु वादग्रस्त भूमि पूर्व वाद एवं अपीलाधीन वाद मे समान है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत यह उल्लेखित करते हुए खारिज कर दिया कि वादी द्वारा इसी भूमि का वाद अपने प्रार्थना पत्र पर ही खारिज करवाया था। आज यह कहना कि वह दावा धमका कर व भय दिखाकर खारिज करवाया गया था मानने योग्य नही है। पूर्व दावा मे बलवीर राम पक्षकार था जिसके द्वारा वर्तमान प्रतिवादी मानाराम को विवादित भूमि जरिये बैयनामा बैय कर दी है। इस प्रकार प्रकरण मे रेस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है, के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 14/2014/223 आर टी ए

मेजरसिंह पुत्र भागसिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मानाराम पुत्र जीयाराम जाति मेघवाल निवासी 22 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 170/2012 अनवानी मेजरसिंह बनाम मानाराम

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार सहारण अधिवक्ता अपीलांट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ